रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 <u>REGD. No. D. L.-33004/99</u>



सी.जी.-डी.एल.-अ.-10062025-263696 CG-DL-E-10062025-263696

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग III—खण्ड 4 PART III—Section 4

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 417] No. 417] नई दिल्ली, सोमवार, जून 9, 2025/ज्येष्ठ 19, 1947 NEW DELHI, MONDAY, JUNE 9, 2025/JYAISTHA 19, 1947

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय

(भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 जून, 2025

फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई — खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का संख्यांक 34) की धारा 43 की उप-धारा(1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण एतद्द्वारा भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड 3, उप-खंड (ii) में दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 को प्रकाशित अधिसूचना संख्या का.आ. सं. 3648 (अ) में निम्नलिखित संशोधन करता है, अर्थात्:—

- 1. उत्तरी क्षेत्र से सम्बंधित 'क' में, **पंजाब** के नीचे, कॉलम (1) में, क्रम संख्या 2 और कॉलम (2) और (3) में उससे सम्बंधित प्रविष्टियाँ लुप्त कर दी जाएँ;
- 2. पश्चिमी क्षेत्र से सम्बंधित 'ख' में, **गुजरात** के नीचे, क्रम संख्या 14 के कॉलम (1) और उससे संबंधित कॉलम (2) और (3) की प्रविष्टियों के लिए निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्,:—

3728 GI/2025 (1)

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"14.	लिलाबा एनालिटिकल लैबोरेट्रीज एलएलपी	जैविक
	पंजीकरण सं. 52/डब्ल्यू/एफएसएसएआई/2018	रासायनिक";
	ब्लाक सं 327, प्लॉट सं 88/89/90/91/92, सिद्धिविनायक इंडस्ट्रियल	
	एस्टेट, ग्राम खोलवड, सूरत, गुजरात	

3. दक्षिणी क्षेत्र से सम्बंधित 'ग' में, **आंध्र प्रदेश** क्रम संख्या 8 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमो में अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थात्: —

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"9.	यूरेका एनालिटिकल सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड	जैविक
	पंजीकरण सं. 92/एस/ एफएसएसएआई/2025	रासायनिक";
	डी नंबर 5-31-5,3/14, तेजस्वी एन्क्लेव, ब्रॉडीपेट, गुंटूर, आंध्र प्रदेश	

4. पूर्वी क्षेत्र से सम्बंधित 'घ' में, **पश्चिम बंगाल** के नीचे, क्रम संख्या 13 के पश्चात, निम्नलिखित प्रविष्टियों को सम्बंधित कॉलमो में अंत: स्थापित किया जाएगा, अर्थातु:—

क्रम सं.	प्रयोगशाला का नाम, पंजीकरण संख्या एवं पता	प्रत्यायन का क्षेत्र
(1)	(2)	(3)
"14.	क्वालिस्योर लेबोरेटरी सर्विसेज,	जैविक
	पंजीकरण सं. 29/ई/एफएसएसएआई/2025	रासायनिक"
	361, प्रांतिक पल्ली, 45/361, बोसपुकुर रोड,	
	कोलकाता, पश्चिम बंगाल	

जी. कमलावर्धन राव, मुख्य कार्यकारी अधिकारी

[विज्ञापन-III/4/असा./150/2025-26]

टिप्पण: मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र , असाधारण, भाग II, खंड 3, उप-खंड (ii) में का.आ. संख्या 3648 (अ), दिनांक 6 दिसम्बर, 2016 द्वारा प्रकाशित हुई थी और अंतिम संशोधन भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग III, खंड 4 में अधिसूचना संख्या फा.सं. क्यूए-12012/8/2021-क्यूए-एफएसएसएआई, दिनांक 29 जनवरी, 2025 के माध्यम से की गई थी।

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Food Safety And Standards Authority Of India)

NOTIFICATION

New Delhi, the 4th June, 2025

F.No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI.- In exercise of the powers conferred by Sub-section (1) of Section 43 of the Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006), the Food Safety and Standards Authority of India hereby makes the following amendment in the notification number S.O. number 3648 (E) published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (ii), dated the 6th December, 2016, namely:—

In the table,

- 1. In 'A' related to NORTHERN REGION, under *Punjab* at serial number 2, in column (1) and respective entries in column (2) & (3) of the row shall be deleted;
- 2. In 'B' related to WESTERN REGION, under *Gujarat*, for serial number 14, in column (1) and respective entries in column (2) & (3), the following shall be substituted, namely: —

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"14.	Lilaba Analytical Laboratories LLP	Biological
	Reg. No. 52/W/FSSAI/2018	Chemical";
	Block No. 327, Plot No. 88/89/90/91/92, Siddhivinayak Industrial	
	Estate, Village Kholvad, Surat, Gujarat	

3. In 'C' related to SOUTHERN REGION, under *Andhra Pradesh*, after serial number 8, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: —

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
_	Eureka Analytical Services Private Limited, Reg. No. 92/S/FSSAI/2025	Biological Chemical";
	D No 5-31-5, 3/14, Tejaswi Enclave, Brodipet, Guntur, Andhra Pradesh	

4. In 'D' related to EASTERN REGION, under *West Bengal*, after serial number 13, the following entries shall be inserted in respective columns, namely: —

Sr. No.	Name, Regn. Number and Address of the Laboratory	Scope of accreditation
(1)	(2)	(3)
"14.	Qualissure Laboratory Services,	Biological
	Reg. No. 29/E/FSSAI/2025	Chemical"
	361, Prantick Pally, 45/361, Bosepukur Road,	
	Kolkata, West Bengal	

G. KAMALA VARDHANA RAO, Chief Executive Officer

[ADVT.-III/4/Exty./150/2025-26]

Note: The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (ii), vide S.O. number 3648 (E), dated the 6th December, 2016 and last amended vide notification number F. No. QA-12012/8/2021-QA-FSSAI dated 29th January, 2025 in the Gazette of India, Extraordinary, Part III, Section 4.